

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

प्रेषक,

विनय कुमार बरनवाल,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

**अतिमहत्वपूर्ण**

**E-mail**

**FAX**

सभी मुख्य अभियन्ता (लघु सिंचाई सहित),  
जल संसाधन विभाग।

मुख्य अभियन्ता,  
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र,  
F.F.P बिल्डिंग, धुर्वा, राँची।

उप सचिव,  
ग्रामीण विकास विभाग ( ग्रामीण कार्य मामले)  
झारखण्ड, राँची।

प्रबन्ध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि०, राँची।

संयुक्त सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची।

प्रशासक नगर निगम, राँची।

राँची/दिनांक :-.....

**विषय :-** वेतन प्राप्त नहीं करने वाले कनीय अभियन्ताओं का विवरणी विभाग में उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि कई कनीय अभियन्ता कार्यालय से वेतन प्राप्त नहीं करते हैं और सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके द्वारा बकाए वेतनादि एवं सेवान्त लाभों के भुगतान हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद दायर किया जाता है। कार्यालय एवं विभाग की आवश्यक रूप से परेशानी बढ़ जाती है।

विदित हो सेवापुस्ति/अंतिम वेतन प्रमाण पत्र अद्यतन न रहने तथा कई अवधियों का सेवा सत्यापित न रहने की वजह से पेंशनादि की स्वीकृति में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है तथा अनावश्यक रूप से विभाग को न्यायालयाद का सामना करना पड़ता है।

अतः अनुरोध है कि वेतन न प्राप्त करने वाले कनीय अभियन्ताओं को चिन्हित करते हुए उनकी सूची इस सूचना के साथ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय कि उनके द्वारा कब से और किस कारण से वेतन प्राप्त नहीं किया जा रहा है। साथ ही सभी कनीय अभियन्ताओं का समय-समय पर सेवा पुस्ति आदि अद्यतन किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विनय कुमार बरनवाल)  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-

1944

राँची, दिनांक:-

10/6/19

प्रतिलिपि:- अभियन्ता प्रमुख-I के प्रधान आप्त सचिव/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(विनय कुमार बरनवाल)  
सरकार के अवर सचिव